INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP02728755420376W

Certificate No.	:	IN-UP02728755420376W
Certificate Issued Date	:	20-Mar-2024 01:25 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14129204/ MAHARAJGANJ/ UP-MHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14129204016114368237 72W
Purchased by	:	RP CHARITABLE TRUST TRUSTI SUNITA DEVI WO MAHANTH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MAUZA- SHASHTRINAGAR WARD 23 SISWA BAZAR TEH.NICHLAUL DISTRICT MAHARAJGANJ
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RP CHARITABLE TRUST TRUSTI SUNITA DEVI WO MAHANTH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RP CHARITABLE TRUST TRUSTI SUNITA DEVI WO MAHANTH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

Please write or type below this line

सुनीता देवी

LOCKED
S. R. - NICHLAUL
MAHARAJGANJ

Principal
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

0000870777

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सुनीता देवी
Sunita Devi
जन्म तिथि/ DOB: 05/01/1955
महिला / FEMALE

3595 5850 1182

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
अर्धांगिनी: महब्रत तिवारी,
18, जैनी छपरा, वॉर्ड न.01,
सिसवा बुज़ुर्ग, महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश - 273163

Address:
W/O: Mahavir Tiwari, 18, jaini chhapra, ward no.01, Siswa Buzurg, Maharajganj, Uttar Pradesh - 273163

3595 5850 1182

Aadhaar-Aam Admi ka Adhika

सुनीता देवी

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

भारत सरकार
Government of India

सुनील कुमार पाण्डेय
Sunil Kumar Pandey
जन्म तिथि/DOB: 01/03/1991
पुरुष/ MALE

7962 8808 4185
VID : 9152 7578 5379 0949

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सुबाष पाण्डेय, 29, ,, सिरसिया सागर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश - 274306

Address:
S/O Subash Pandey, 29, ,, Sirsia Sagar, Kushinagar, Uttar Pradesh - 274306

7962 8808 4185
VID : 9152 7578 5379 0949

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सुनील पाण्डेय

सुनीता देवी

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

भारत सरकार

Government of India

सूर्यनाथ शुक्ला

Suryanath Shukla

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1971

पुरुष / Male

5855 5112 6121

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: श्री राम, 01, सीधरीहवा टोला, बड़हरा चरगहा, महाराजगंज, सिसवा बाजार, उत्तर प्रदेश, 273163

Address:
S/O: Shree Ram, 01, seedhareehawa tola, Barhara Chargaha, Maharajganj, Siswa Bazar, Uttar Pradesh, 273163

5855 5112 6121

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

शीला शुक्ला

सुनीता देवी

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

न्यास पत्र

सुनीता देवी पत्नी श्री महंथ तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 मों0–7897951946

विदित हो कि हम आवेदक समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम आवेदक के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन रहता है। हम आवेदक की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं,भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्यव आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व्यावहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के विकास में परस्पर भाई–चारा सम्प्रदायिकताल–मेल बनाये रखने एवं समाजको शिक्षित करने में लिंग जातिपात धर्म और सम्प्रदाय कही से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने का आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम आवेदक द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम आवेदक द्वारा अपने उक्त हार्दिकइच्छा की पूर्ति के लिए तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/– (दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की हम आवेदक व्यवस्था करते रहेंगे। इस प्रकार न्यासकोष में जमा की गयी धनराशि न्यास की परिसम्पति मानी व समझी जायेगी तथा उसकी व्यवस्था इस न्यास पत्र में वर्णित प्रावधानों के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे है. जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी :–

1. यह कि हम आवेदक द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम **"R.P. CHARITABLE TRUST"** होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम आवेदक द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय "वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0" में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उदेश्यों की सुगंम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम आवेदक न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक होंगे तथा क्रमशः ट्रस्ट को अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक कहे जायेगें। अध्यक्ष सुनीता देवी को ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी भी कहा जायेगा। हम आवेदक द्वारा ट्रस्ट के संचालन व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने को सहमत है, उनको ट्रस्ट का सदस्य नामित किया जाता है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का सदस्य कहा जायेगा, जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 9 से अधिक नही होंगी। भविष्य में हम आवेदक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्यसदस्यों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। ट्रस्ट की स्थापना के समय नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:–

i. सुनीता देवी पत्नी महन्थ तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0। (ट्रस्टी) मो0–7897951946

सुनीता देवी

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

ii. नीरज कुमार तिवारी पुत्रश्री महन्थ तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 ।(सचिव / प्रबन्धक) मो0–8542001111

iii. महन्थ तिवारीपुत्र स्व0 रामप्यारे तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 । (सदस्य) मो0–9795636224

iv. धीरज कुमार तिवारी पुत्र श्री महन्थ तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 ।(सदस्य) मो0–8922012222

v. मेघना तिवारी पत्नी नीरज तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 ।(सदस्य) मो0–7905958653

vi. सृष्टि तिवारी पत्नी धीरज तिवारी, निवासी–वार्ड नं0–23, शास्त्रीनगर, सिसवा बाजार, महराजगंज, उ0प्र0 ।(सदस्य) मो0–7236052222

4. यह कि इन आवेदक गण द्वारा "**R.P. Charitable Trust**" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है इसे न्यास मण्डल / ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक समाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सहयोग करना।

3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओंको रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये किड केयर, नर्सरी, प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नात्कोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा के विभिन्न संकायों की शिक्षा उपलब्ध कराना। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर अधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाषुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. लिंग–भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

6. शिक्षा प्रचार–प्रसार, उन्ननयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी–गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय तथा शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर एन0सी0टी0ई0 से मान्य प्राठ्यक्रम का संचालन करना।

7. जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेंडिकल कालेज वअन्य चिकित्सकीय / पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

8– शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

9– अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे एवं कमजोर वर्गों के लिये स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

सुनीता देवी

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

10– युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग टाइपिंग शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइल आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना।

11– खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

12– युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला,निबन्ध व्याख्यान तथा खेलकुद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

13– विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओ तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों/निराश्रित अनाथ बच्चों एवे युवाओं के लिए विद्यालय छात्रवास एवं भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करना।

14– वृद्धो के लिये विश्राम एवं वृद्धाश्रम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन पढने–लिखनें एवे उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

15– महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

16– सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान योग प्रशिक्षण केन्द्र आगनवाड़ी, बालवाड़ी ,ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

17– सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों तथा औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।

18– खादी ग्रामोद्योग बार्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदानको स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

19– विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम् सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों यूनीसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन हो सकें।

20– स्वास्थ्य विभाग में सभी प्रकार की सामग्री व अन्य की उपलब्धता से सम्बन्धित कार्य करना।

21– घरेलू ग्रामीण उद्योगको बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, पशु पालन के लिए युवाओं को प्रेरित, जागरूक, प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

22– नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिये नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय कीव्यवस्था करना।

23– सामुहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

24– विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना व प्रतिभाओं को पुरस्कृत करना।

25– सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सडक निर्माण पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

26– कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

तथा नये–नये बीजों को लगाने तथा उनसे सम्बधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।

27– प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना व सहयोग प्रदान करना।

28– उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकारअथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन०जी०ओ० के माध्यम से चलाया जा रहा है।

29– पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।

30– गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

31– किसी अन्य सरकारी अथवा एनजीओ एसोसियेशन ट्रस्ट के क्रियाकलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हो।

32– ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला, प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

33– सरकारी अर्ध सरकारी अथा गैरसरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण प्राप्त करना।

34– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता/स्वीकृति प्राप्त कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूटस की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासनिक योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी कुलपति से स्वीकृतीप्राप्त करना। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय राज्य अथवा केन्द्र से सम्बद्धताप्राप्त कर तकनीकि व व्यवसायिक संस्थान चलाने के हेतु सम्बन्धित सरकार के नियमों उपनियमों के अनुसार कार्य करना।

35– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधि व्यवस्थाओं के अनुसार देश के बाहर विदेश में भी ट्रस्ट का संचालन हो सकेगा।

36– पर्सनॉलिटि डेवलपमेंट/स्कील कम्यूनिकेशन/योगा केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

37– रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

38– सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

39– किसी प्रकार की दुर्घटना में जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार असहाय व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए तथा एक ,अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बूलेंस वैन की व्यवस्था करना।

40– लावारिश, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देख–भाल के साथ–साथ समुचित संरक्षण उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना तथा गौशाला की व्यवस्था करना।

41– किसी एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार सोसायटी के नाम से समिति का गठन कर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराकर उसके माध्यम से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य किया जायेगा।

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

सुनीता देवी

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

5. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली या सी०आई०एस०सी०ई०, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे –

1. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का आवश्यकतानुसार समय–समय पर नवीकरण कराना।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जाएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा अन्य कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम 1/4/2023 वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध करायेंजायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों के बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन संशोधन नहीं किया जायेगा।

6. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं एवं समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उन नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबंध इकाइयां गठित करना।

SBSP
Principal
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

सुनीता देवी

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्नहोने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत् गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मोटर वाहन खरीदना तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना व इस हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।
9. ट्रस्ट के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना व उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
10. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं को सम्बन्धित विभागों के नियमानुसार गठित कर सहभागी होना तथा उनके अनुसार संचालन करना।
11. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध–सरकारी गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उसके कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट बिलेख में संशोधन करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

7. <u>ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था</u>

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन –

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर अगले मुख्यट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में मुख्यं ट्रस्टीगण के द्वारा अपने उत्तरधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट मण्डल के सभी सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता कीअवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्ट के सदस्य को अपना कार्य करने के लिए अधिकृत करना होगा।

Principal
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

सुनीता देवी

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टी को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट में से किसी को पदाधिकारी के रूप में या ट्रस्ट मण्डल द्वारा किसी पद पर नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा।

4. किसी भी ट्रस्ट को व्याभिचारी, शराबी,अपराधी, देशद्रोह व दुर्व्यसनीय होने की स्थितिमें उसे ट्रस्ट मण्डल से पृथक किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मण्डल के किसी भी न्यासी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा। उक्त परिस्थिति में ट्रस्ट के रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी के सहमति सेकी जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्टमण्डल द्वारा उन्हें बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा।

6. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टी को ट्रस्ट की सुचारू प्रबंध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों को कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व सचिव के द्वारा दी जायेगी और उपरोक्तसभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक सेअनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थितहो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट का फैसला अंतिम होगा।

8. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

3. ट्रस्टमण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कामों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा सचिव/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकार, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।

4. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को सचिव/प्रबंधकके साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करना।

Principal
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

सुनीता देवी

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

5. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैंठकों की विधि को अनुमोदित स्थगित निरस्त करना।
6. ट्रस्ट के वित्तीय हितों की सुरक्षा के बाबत आवश्यक कार्य करना।

9. सचिव/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं समितियों के कार्यों में मुख्य रूप से भाग लेना।
2. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
5. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्तिके हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से से हस्ताक्षरित करना।ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना।
6. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कामों को करना।
7. इस ट्रस्ट आय–व्यय का हिसाव–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट के समक्ष रखना।
8. ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के नाम बैंक में खोले गये खाते में जमा करना तथा आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना/कराना।
9. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
10. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।
11. ट्रस्ट के आय–व्यंय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
12. ट्रस्ट के आय–व्यय सम्बन्ध में आयकर विभाग अथवा सरकारी विभाग को नियमानुसार विवरणी प्रस्तुत करना।

10. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था –

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं ऋण राशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट के नाम खाता खोलने, खातों के संचालन, लेन–देन का अधिकार, न्यास मंडल के सदस्यों में क्रम सं0 2 एवं क्रम सं0 4 पर अंकित व्यक्तियों का संयुक्त या इनमें से किसी एक द्वारा भी खाते का संचालन किया जा सकेगा।

सुनीता देवी

11. ट्रस्ट के अभिलेख–

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने कराने रख–रखाव का दायित्व ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टीगण का संयुक्त रूप से होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

12. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था –

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकोंसे दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यमसे ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव/प्रबन्धक संयुक्त रूप से अधिकृत होगें।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए चल–अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था में आर्थिक सहयोग निजी अथवा बैंकों से प्राप्त करने के लिए तैयार प्रपत्रों पर ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी एवं सचिव/प्रबन्धक का हस्ताक्षर संयुक्त रूप से करने के लिए अधिकृत होगें।
3. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को नियमानुसार विधिक अनुमति प्राप्त कर किराये पर दे सकेगा या बेचसकेगा।
4. ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर मुख्य न्यासी का स्वामित्व व अधिकार होगा।
5. भविष्य में किसी परिस्थितिवश मुख्य ट्रस्टीट्रस्ट से पृथक होना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में ट्रस्टी की समस्त चल–अचल सम्पति के तत्कालीन मूल्यांकन की वास्तविक धनराशि का आधाभागहोने वालें मुख्य ट्रस्टी से प्राप्त कर ट्रस्ट से स्वयं को अलग कर सकेगा। उक्त प्रकार से मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट से पृथक होने के उपरांत ट्रस्ट के प्रबन्ध व्यवस्था एवं उसकी सम्पति में किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रह जायेगा। न तो उसे ट्रस्ट के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने का ही अधिकार प्राप्त होगा।
6. ट्रस्ट की सम्पति को क्षति पहुँचाने, दुरूपयोग करने वालो को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी के द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट द्वारा जायेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी अथवाअध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा आवश्यकतानुसार की जायेगी।
8. ट्रस्ट से अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्तितथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट के अधीन होगा। ट्रस्ट बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त

Principal
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

सुनीता देवी

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
RPIC Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट अपने सम्पति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कार्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

9. ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

10. ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्ते लागू होगी।

11. इस ट्रस्ट मे कोई चल या अचल सम्पत्ति निहित नही है।

घोषणा

"**R.P. Charitable Trust** की तरफ से हम सुनीता देवी मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके।

सुनीता देवी

गवाह :– सुनील पाण्डेय पुत्र श्री सुबाष पाण्डेय निवासी ग्राम– सिरसिया सागर, पो0– खानू छपरा, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर मो0–7388304665

सुनील पाण्डेय

गवाह:– सूर्यनाथ शुक्ला पुत्र स्व0 श्रीराम शुक्ला निवासी–ग्राम–बड़हरा चरगहा, सिधरीयहवा टोला, पो0–सिसवा, तहसील–निचलौल, जिला–महराजगंज मो0–9554571681

सूर्यनाथ शुक्ला

दिनांक 20-03.2024

प्रारूपक–राज कुमार मिश्रा
एडवोकेट तहसील–निचलौल
पंजीयन संख्या–11266 / 1999

20/03/24

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Neeraj Kumar Tiwari
Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

आवेदन सं०: 202400945002720

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 15 के पृष्ठ 279 से 300 तक क्रमांक 4 पर दिनाँक 20/03/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अखिलेश कुमार गुप्त
उप निबंधक : निचलौल
महाराजगज
20/03/2024

प्रिंट करें

Principal
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)

Manager
R P I C Convent School
Dhangdha, Khadda, Kushinagar (U.P.)